कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–उनि/सशि/मु.म.बजट घोषणा/डिजीटल लिट्रेसी/2015–16/28 दिनांक– 03.06.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) राज.

अति–आवश्यक

विषयः– अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2015, 23..06.2016, एवं 12.04.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.09.2015 एवं 23.06.2016 द्वारा डिजिटल लिटरेसी कार्याक्रम के तहत समस्त आयुवर्ग के समस्त शिक्षकों एवं मंत्रालयिक कार्मिकों को RKCL से RS-CIT कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं जो कार्मिक/शिक्षक प्रशिक्षण मे भाग नहीं लेगें उनकी सेवाएं संतोषप्रद नही मानते हुए वेतनवृद्धि रोके जाने पर विचार करने बाबत निर्देश दिए गए थे। ध्यातव्य है कि इस कम्प्यूटर प्रशिक्षण की शुल्क का पुनर्भरण राज्य सरकार के नियमानुसार ही देय है। यदि किसी कार्मिक ने अन्य सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष अथवा उच्च स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो इसे आरकेसीएल से कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नही है।

अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA(IGNU), RS-CIT(RKCL) And Course on Computer Concept (CCC) (Nielit) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) व प्रोत्साहन राशि के नियमानुसार का भुगतान पदस्थापन स्थल से करने के संबंध में बजट आवंटन बाबत जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। **अधिकांश जिलों की समेकित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है।**

इस संदर्भ में समस्त अधीनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि जिन शिक्षकों/कार्मिकों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण कि प्रपत्र 10 में करें। शाला दर्पण पर प्रविष्टि के अभाव में कम्प्यूटर प्रशिक्षण शुल्क का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा। जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.06.2019 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध करावाएं। ताकि तद्नुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।

क्र. सं.	कार्यालय/ विद्यालय का नाम	कार्यालय/ विद्यालय की आई.डी.	कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है						पुनर्भरण हेतु कुल राशि
			CIC	CIT	BCA	MCA	RS-CIT	CCC / NIELIT	

उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है। निर्धारित तिथि तक समेकित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में यदि कोई कार्मिक पुनर्भरण से वंचित रह जाता है तो इसका संपूर्ण दायित्व आपका होगा। ***पुनर्भरण के लिए जिले की समेकित सूचना भेजने के साथ यह प्रमाण–पत्र जारी करे कि प्रत्येक संस्था प्रधान ने संबंधित समस्त कार्मिकों की कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर उतीर्ण करने की प्रविष्टि शाला दर्पण के प्रपत्र–10 में कर दी गई है।***

उपनिदेशक
समाजशिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. समस्त मंडल संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,राजस्थान।
3. प्रबंधन निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर।
4. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग,कार्यालय हाजा
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाजशिक्षा, राजस्थान
बीकानेर